PBR/निगरानी/उज्जैन/भू-रा/2017/1937

(15)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

बद्रीलाल पिता रामजीलाल पाटीदार,
धंधा–कृषि, निवासी– ग्राम कलालखेड़ी
तह. नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

——— प्रार्थी

विरूद्ध

1 श्रीमती शारदाबाई पति रामनारायण पाटीदार, निवासी– ग्राम जलोदिया जागीर तह. नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

2 श्रीमती वरदीबाई पति गौरीशंकर पाटीदार, निवासी– ग्राम पाड़सुतिया तह. खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.)

3 अनोखीलाल पिता रामजीलाल पाटीदार, धंधा– कृषि, निवासी– ग्राम कलालखेड़ी तह. व जिला उज्जैन (म.प्र.)

——— प्रतिप्रार्थीगण

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 32/अपील/10–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02/05/2017 से असंतुष्ट होकर धारा 50 म.प्र.भू. रा.संहिता के अंतर्गत निगरानी :–

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / उज्जैन / भू.रा. / 2017 / 1937

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 2–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश में अवैधानिकता पाये जाने पर म.प्र. भू–राजस्व संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप स्वयं प्रकरण में साक्ष्य लेकर गुण–दोष पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जाना है, जिसके विरूद्ध आवेदक को अपील में उपचार उपलब्ध होगा । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	